"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2007—माघ 18, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-5/2007/वा. कर (आब.) /पांच (5).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 9 के खण्ड (क) में -

(1) उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड (3) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो. इन नियमों

के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी सम्मिलित न हो. इसी प्रकार किसी अन्य राज्यों के तत्संबंधी प्रावधानों में भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो. अन्य राज्यों के संबंध में आवेदक, देश के जिन-जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा. यदि इस अवधि में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा."

(2) उप-खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड (6) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह मूल निवासी है एवं विगत 10 वर्षों में वह जहां-जहां निवास करता रहा हो, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है."

2. नियम 9 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ख) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) इस नियम के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ-ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रतिलिपि एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा."

3. नियम 9 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ग) का अन्तःस्थापन किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) चयन प्रक्रिया के दौरान या बाद में जिला स्तरीय समिति कभी-भी आवेदक को नियम एवं शर्तों के पालन की पुष्टि हेतु समक्ष में उपस्थित होने को आदेशित कर सकती है या अन्य कोई प्रमाण/अभिलेख मांग सकती है."

4. नियम 23 के उप-नियम (1) में :-

"(1) खण्ड (ग) में शब्द, समूह तथा अंक "नियम-8 के खण्ड (ग-1)" के स्थान पर शब्द, समूह तथा अंक "नियम-8 के खण्ड (ग)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) खण्ड (ङ) में शब्द, समूह तथा वाक्य "न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर" के पश्चात् शब्द, समूह तथा वाक्य "अथवा अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर" जोड़ा जाये.

(3) खण्ड (च) के उप-खण्ड (एक) में शब्द, समूह तथा अंक "माल्ट मदिरा के लिये रुपये 10/- प्रति क्वार्ट बोतल" के स्थान पर शब्द, समूह तथा अंक "माल्ट मदिरा के लिए रुपये 16/- प्रति बल्क लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये."

5. प्ररूप सी. एस. 2 घ की शर्त क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त 2-क अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात् :-

"2-क अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा दुकान की मासिक अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पूर्व संबंधित जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा करने के लिए दायी होगा, तथापि मासिक किश्त उस माह के दसवें कार्य दिवस तक जमा करने की सुविधा रहेगी."

6. प्ररूप सी. एस. 2घ की शर्त क्रमांक 6 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त क्रमांक 6 प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :-

"6. अनुज्ञप्तिधारी, शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा."

7. प्ररूप एफ. एल. 1घ की शर्त क्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त 1-क अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात् :-

"1-क अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा दुकान की मासिक अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पूर्व संबंधित जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा करने के लिए दायी होगा, तथापि मासिक किश्त उस माह के दसवें कार्य दिवस तक जमा करने की सुविधा रहेगी."

8. प्ररूप एफ. एल. 1घ की शर्त क्रमांक 2 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त क्रमांक 2 प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :-

"2. अनुज्ञप्तिधारी, शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा."

2. उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 10-5/2007/वा. कर (आब.) /पांच (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2007/वा. कर (आब.) /पांच (5), दिनांक 07-02-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th February 2007

NOTIFICATION

No. F 10-5/2007/CT. (Ex.)/V (5).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915). the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licences for retail sale of Country/Foreign Liquor Rules, 2002, namely :-

AMENDMENTS

In the aforesaid rules,—

1. In clause (a) of Rule 9 :-

(1) sub-clause (3) shall be substituted by the following sub-clause (3), namely :-

"(3) Under the provision of Chhattisgarh Excise Act, 1915 and any Rules made there under. should not be a defaulter/black listed or debarred from holding a Excise Licence in the State. Applicant should also not be in the list of defaulters under rule 13 of these Rules. Similarly the applicant should not be in the list of a defaulters/black listed or debarred from holding an Excise Licence under the provisions of any other State. If the applicant has been a licensee in other States of the country, he shall furnish a certificate stating that he is not defaulter/blace listed in such States, issued by the concerned State official to the licensing authority within 60 (Sixty) days from the date of issue of license. If the desired certificate is not produced in the stipulated time, the licensing authority may cancel the Licence.

(2). sub-clause (6) shall be substituted by the following sub-clause (6), namely :-

"(6) In case, the applicant is selected as a licensee, he shall furnish a certificate within 60 (Sixty) days from the date of issue of license, that he bears a good moral character and has no criminal back ground or criminal history issued by the Superintendent of Police of the district of which he is permanent resident and other districts where he has resided in last 10 years."

2. clause (b) of Rule 9 shall be substitued by the following clause (b), namely :-

"(b) An applicant shall, as a proof of fulfilment of condiditions of sub-clause (1) to (9) of clause (a) of this rule, submit an affidavit in the prescribed format duly verified by the public notary, a certified copy of PAN CARD duly attested from Gazetted Officer and copy of other certificates mentioned in the application form, along with application."

3. After clause (b) of Rule 9, the following clause (c) shall be inserted, namely :-

"(c) The District Level Committee can at any time during or after the selection process direct the applicant to appear in person for confirmation of compliance of any Rule and Conditions at any time or to produce any other certificate/document."

4. In sub-rule (1) of Rule 23 :-

"(1) in clause (c) for the words, group and figures "clause (c-1) of Rule 8" the words, group and figures "clause (c) of Rule 8" shall be substituted.

(2) in clause (e) after the words, group and sentences "below the minimum rate" the words, group and sentences "or above the maximum rate" shall be substituted.

(3) in sub-clause (i) of clause (f) for the words, group and figures "Rs. 10/- per quart bottle of malt liquor" the words, group and figures "Rs. 16/- per bulk liter of malt liquor" shall be substituted."

5. After condition No. 2 of Form C. S. 2D, the following condition No. 2-A shall be inserted, namely :-

"2-A The licensee shall be liable to deposit the monthly licence fee of country liquor shop on or before the first working day of each month in the Treasury/Sub-Treasury of the concerned District, though he is entitled to deposit the monthly instalment by 10th working day of that month."

6. In place of condition No. 6 of Form C. S. 2D, the following conditions No. 6 shall be substituted, namely :-

"6. The licensee shall not charge from the consumers a price less than the fixed minimum retail selling price and not above the fixed maximum selling price."

7. After condition No. 1 of Form F. L. 1D, the following condition No. 1-A shall be inserted, namely :-

"1-A The licensee shall be liable to deposit the monthly licence fee of foreign liquor shop on or before the first working day of each month in the Treasury/Sub-Treasury of the concerned District, though he is entitled to deposit the monthly instalment by 10th working day of that month."

8. In place of condition No. 2 of Form F. L. 1D, the following condition No. 2 shall be substituted, namely :-

"2. The licensee shall not charge from the consumers a price less than the fixed minimum retail selling price and not above the fixed maximum selling price."

2. The above amendments shall come into force from the date of issue of this Notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.